न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
126 / 2023 / प्रार्थना पत्र	2023 / 163	05.06.2023	13.08.2025

अनवान

1– दुर्गालाल पिता नाना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– रामस्वरूप पिता कालू गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– कमला पुत्री गोपाल गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
4– लाला पिता गोपाल गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
5– मु. धापू पत्नी गोपाल गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
6– भोजा पिता मगना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
7– मु. छोटी पत्नी मगना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
8– मु. शारदा पुत्री मगना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
9– मु. कसनी पुत्री मगना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
10– मु. हरकू पत्नी नाना गुर्जर निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
11– जगदीश पुत्र मोहन माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा

– प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1– रामनारायण पुत्र हीरा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
2– कन्हैयालाल पिता हीरा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
3– नाथूलाल पिता हीरा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा
4– मु. लाली पुत्री हीरा माली निवासी कादीसहना पत्नी रतन माली हाल निवासी शक्करपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
5– शाखा प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –	श्री लालाराम गुर्जर	–अभिभाषक प्रार्थीगण
	श्री विनोद सनाढ्य	–अभिभाषक विपक्षीगण 1
	श्री कल्याणमल धाकड़	–अभिभाषक विपक्षीगण 2, 3 जवाब बंद

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 19.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र आमली कलां तहसील शाहपुरा स्थित खाता संख्या 239 खसरान किता 03 कुल रकबा 0.62 हैक्टयर, खाता संख्या 630 खसरान 2 कुल रकबा 0.93 है0, खाता संख्या 194 खसरान 02 कुल रकबा 0.62 है0, खाता संख्या 455 किता 1 कुल रकबा 0.30 है0, खाता संख्या 775 किता 1 कुल रकबा 0.03 है0, खाता संख्या किता 1 559 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खसरान में से आराजियात में आने जाने हेतु कोई स्थाई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण अपनी आराजियात पर पहुंचने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए आराजी नम्बर 3006 गै.मु. रास्ता से होते हुए आराजी नम्बर 2885/2, 2885/1, 2886 से होते हुए आराजी नम्बर 2887 से होते हुए अपने कब्जे काश्त की आराजियात पर पहुंचकर अपनी आराजियात को वर्षों से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगणों का यहा एक मात्र रास्ता अपनी कृषि आराजियात को काश्त करने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगणों के पास उपलब्ध नहीं है। किन्तु इस रास्ते को विपक्षीगण नं. 01 लगायत 04 ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर आये दिन रास्ते को अवरूद्ध कर देते है। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात को काश्त करने से वंचित रह जाते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की आराजियात 2885/2, 2885/1, 2886 , 2887 में से 15 फिट चौड़ा नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थीगण काश्तकार होकर प्रार्थीगणों को जीवन कृषि आधारित है। रास्ता बंद कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात को काश्त नहीं कर पायेगें एवं भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कादीसहना पटवार हल्का कादीसहना भू0अ0निरीक्षक आमली कलां तहसील शाहपुरा की आराजी 2885/2, 2885/1, 2886, 2887 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए, जिन्हें रेकार्ड पर लिया गया। तदोपरान्त विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री विनोद सनाढ्य एवं विपक्षीगण संख्या 2, 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री कल्याणमल धाकड़ उपस्थिति दी जाकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा।

विपक्षीगण संख्या 01 की ओर से जरिये अधिवक्ता द्वारा खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी संख्या 2900 जो कि संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण द्वारा अन्य संयुक्त खातेदारान को प्रकरण में पक्षकारान नहीं बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 2885/1, 2885/2, 2886 से अपनी आराजी पर वर्षों से आने जाने का कथन अस्वीकार है। क्यों कि प्रार्थीगण सदैव से आराजी नम्बर 2886 से ही होकर आते जाते रहे है। साथ ही प्रार्थीगण आराजी नम्बर 3006 गे.मु. रास्ते से आराजी नम्बर 3007, 2871, 2873, 2883, 2892, 2880 से होते हुए आराजी नम्बर 2890, 2900 व 2903 तक काश्तकारों द्वारा आपसी सहमति से मौके पर छोड़े गये रास्ते का उपभोग करते हुए विगत 40–50 वर्षों से अपनी आराजियात में आ जा रह है। जिसकी पुष्टि उत्तरदाता द्वारा गुगल मैप से लिये गये चित्र व मौके पर अंक्षाश व देशांश सहित लिये गये छाया चित्रों से होती है, जो जवाब के साथ परिशिष्ट अ व ब के रूप में संलग्न है। परिशिष्ट अ में उपयोग में आ रहे रास्ते को बिन्दु संख्या ए–बी–सी–डी–ई–एफ से दर्शाया गया है। बिन्दु एफ के आगे खाल बहता है। इस खाल से होकर भी एक रास्ता सामान्य रूप से व अधितम उपयोग में आता है। जिससे इन समस्त कृषि आराजियात वाले काश्तकार आते जाते है। केवल वर्षा ऋतु के दौरान खाल में पानी होने के दौरान प्रार्थीगण आराजी नम्बर 2885/2, 2885/1, 2886 में वर्णित रास्ते का उपयोग करते है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 2885/2, 2885/1, 2886 में से बताये गये रास्ते को जवाबदार द्वारा अवरूद्ध करने का कथन असत्य है क्योंकि जवाबदार के आराजी नम्बर 2887 की चारों सीमाओं पर विगत 30–40 वर्षों से बाडबंधी की हुई होकर लकड़ी के खंभे गाडकर जाली के तार खेंचे हुए है। प्रार्थीगण जवाबदार की आराजी में होकर 15 फीट का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण के गांव व निवास से खेतों की दूरी मात्र 1 कि0मी0 लगभग है जबकि जिस नये रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसकी दूरी गांव से करीब 4.30 कि0मी0 से ज्यादा है। मौके पर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार कृषि भूमि वालों ने आराजी नम्बर 3006 गै.मु. रास्ता से आगे रास्ता आपसी सहमति से विगत

50–60 वर्षों से छोड़ रखा है जिसका उपभोग बिना किसी विवाद के प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार करते आ रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु आवेदित आराजी 2887 की दक्षिणी मेड़ पर लोहे की जाली लगी है। प्रार्थीगण 03 लगायत 10 की आराजी नम्बर 2909 पर पहुंचने हेतु उक्त आराजियात से रास्ता चाहा गया है। उक्त आराजी 2909 पर पहुंच कर सभी प्रार्थीगण अपनी–अपनी अराजी पर पहुंचना होता है। प्रार्थीगण संख्या 3 से 10 की आराजी 2903 व प्रार्थी संख्या 11 की आराजी 2900 अन्य खातेदार के खातेदारी में दर्ज आराजी नम्बर 2899 किस्म गे0मु0 रास्ता पर स्थित है। प्रार्थीगण ने बताया कि वर्षा ऋतु एवं नाले में पानी होने पर उक्त खातेदारी रास्ता आराजी नम्बर 2899 से आना जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण संख्या 3 से 10 व 11 की उक्त आराजी 2903 व 2900 पर पहुंचने हेतु खातेदारी रास्ता आराजी नम्बर 2899 का उपयोग करने पर ग्राम कादीसहना की रास्ता आराजी नम्बर 1226 में से रकबा 0.10 है0 गे0मु0 रास्ता के बीच में नाला आराजी नम्बर 2764 स्थित है। मौके पर आवेदित आराजी नम्बर 2885/2, 2885/1, 2886, 2887 में आवेदित स्थल पर रास्ता नहीं निकल रहा है। मौके पर गेमु रास्ता आराजी नम्बर 3006 से आराजी नम्बर 2884/2, 2884/1, 2883 में रास्ता निकल रहा है। आवेदन में आराजी नम्बर 2884/2, 2884/1 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। सरकारी रास्ता 3006 के उत्तर रास्ता प्रस्तावित किया जाने पर आराजी नम्बर 2884/2, 2884/1, 2883 से होकर आराजी नम्बर 2887 की दक्षिण मेड़ पर प्रस्तावित हेाता है जो प्रार्थीगण संख्या 3 से 10 की आराजी नम्बर 2909 पर पहुंचता है। जबकि प्रार्थी संख्या 11 की इसी खाते में स्थित अपनी सहखातेदारी आराजी नम्बर 2886 भी आराजी नम्बर 2909 की पूर्वी मेड़ पर लगी हुई होकर अपनी ही आराजी नम्बर 2883 में किस्म गे0मु0 रास्ता 0.02 है0 पर लगायत है। इस प्रकार प्रार्थीगण 3 से 10 की आराजी नम्बर 2909 पर पहुंच हेतु प्रार्थी संख्या 11 की आराजी नम्बर 2883, 2886 से आया जाया जा सकता है। आराजी नम्बर 2883, 2886, 2900 में अन्य सहखातेदार पक्षकार नहीं है। आराजी नम्बर 2886 पर प्रार्थी संख्या 11 अपने हिस्सा पर काबिज नहीं है। आराजी नम्बर 2886 पर प्रार्थी संख्या 11 अपने हिस्से पर काबिज नहीं होकर अन्य सहखातेदार काबिज होना बताया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर पहुंच हेतु अराजी नम्बर 2882, 2881, 2880, 2891, 2890 में मौके पर वैकल्पिक रास्ता है। जिसमें से आराजी नम्बर 2891, 2890 रेकार्ड में दर्ज नहीं है।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्कों से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है किः–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यांतिक आवश्यक नहीं होना बाताया है। मौके पर प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु गैमु0 रास्ता आराजी नम्बर 3006 से होते हुए 2883, 2882, 2881, 2880, 2981, 2890 से होते हुए प्रार्थीगण की आराजियात 2900 तक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो चालू है। जैसाकि नजरी नक्शा से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगणकी आराजियात तक पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः रास्ते की अत्यांकित आवश्यकता की सिद्ध नहीं होती है।

2. भू0अ0निरीक्षक रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित आराजी नम्बर 2885/2, 2885/1, 2883 में से मौके पर रास्ता नहीं निकल रहा है। इस प्रकार

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजियात में से होकर अपनी आराजियात को वर्षों से काश्त किये जाने का तथ्य असत्य सबित होता है।

3. भू0अ0निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए किया जाना बाताया है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है। एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये मार्ग की मांग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए की गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

आदेश

प्रार्थीगण की आराजियात पर पहुंच हेतु वांछित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नहीं होने, प्रार्थीगण की आराजी पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण के सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.08.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा